

MR. SPEAKER : I have to see how many were recorded and bring it to your notice. I will find out in how many cases they were recorded and will bring it to your notice; will you be satisfied ?

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : Generally speaking, we have found you extremely alert in this matter.

MR. SPEAKER : I shall lay it on the Table. You do not know. Sometimes even while I see the agenda, there is a slip and a volley and burst goes out in the meanwhile. Sometimes, when I am listening to one gentleman may be Speaker or the Chairman there comes a volley or burst from the other unnoticed by the Chair.

In how many cases it found its way on the record on that side and in how many cases it found its way into the record on this side, shall I find out and let you know ? Now, I will request you to kindly drop it.

One thing, I must say. Prof. Mukerjee has suggested something. I greatly admire him for many reasons. But, in this particular case, he has made one suggestion which is worth considering. And, I am very confident that all of us will sit sometime together and see what type of norms we should adopt towards each other.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Serampore): Before the U. P. elections.

MR. SPEAKER : I think it is much better we do it after that. You will never observe them so long as they are there ! We might sit together as groups of people some time. We must have certain norms. It is not like laying the eggs to be eaten, but as permanent, standing directions or rules which should be observed by both sides.

12.21 hrs.

RE : QUESTION OF PRIVILEGE

डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय (मंडसौर) : अध्यक्ष महादय, मैं ने आप को एक विशेषाधिकार के उल्लंघन की सूचना दी है ।

लोक सभा के 14 दिसम्बर के बुलीटिन में कहा गया है कि मुझे "13 दिसम्बर, 1973 को 09.15 बजे ग्राम हरसोला (इन्दौर जिला) में गिरफ्तार किया गया था, उसी दिन मीजस्ट्रट के समक्ष पेश किया गया" । मंरा निबंदन है कि यह सूचना गलत है, क्योंकि पुलिस ने मुझे मीजस्ट्रट के सामने पेश नहीं किया ।

इस के अतिरिक्त टी. आई. निरपाल सिंह ने मुझे गिरफ्तार करते समय लोक सभा के प्रति बड़े अपमानजनक शब्द कहे । मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इस विषय को सदन के सामने रखने की अनुमति दें ।

अध्यक्ष महादय : आप इतने टची न हों । कायदा यह है कि मेरे पास गिरफ्तारी की इत्तिला आये । वह आ गई ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : लोकन उन को गाली दी गई ।
Members of Parliament cannot be arrested just like that.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर)
लोकन अगर इत्तिला गलत आये, तो ?

अध्यक्ष महादय : माननीय सदस्य मुझ से मिले और कहा कि मैं एक प्रिविलेज मोशन लाना चाहता हूँ । मैं ने पूछा कि किस लिए, तो उन्होंने बताया कि जब उन्होंने पुलिसमैन को कहा कि मैं लोक सभा में जाना चाहता हूँ, तो पुलिसमैन ने कहा कि आप को लोक सभा ही ले जा रहे हैं । इस में कौन सी गाली है ? मैं ने माननीय सदस्य से पूछा कि जब लोक सभा की मीटिंग हो रही है, तो वह वहां क्या करने गये थे ।

डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय : उन्होंने मुझे गिरफ्तार करते हुए कहा कि आप को लोक

[डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय]

सभा ही पहुँचा रहे हैं। मैं कोई सत्याग्रह करने नहीं गया था। सत्याग्रह करते हुए गिरफ्तार करते तो दूसरी बात थी।

अध्यक्ष महादय : अगर आप ने सत्याग्रह करना है, तो इतना टवी होने की जरूरत नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महादय, इस मामले का एक पहलू यह है कि क्या डा. पांडेय को मीजस्ट्रेट के सामने पेश किया गया या नहीं। आप के बुलीटिन में कहा गया है कि उन को मीजस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जब कि डा. पांडेय का कहना है कि उन को पेश नहीं किया गया। आप को गलत खबर दी गई।

MR. SPEAKER : I am not concerned with that. I am concerned with intimation that he is arrested.

डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय : पुलिस अफसर ने लोक सभा के प्रति अत्यन्त अपमानजनक शब्द कहे। मैंने पहले ही कहा है कि मैं कोई सत्याग्रह करने नहीं गया था। अकारण ही मुझे गिरफ्तार किया गया तथा लोक सभा के प्रति गलत शब्द कहे।

अध्यक्ष महादय : आप इस बारे में मुझ से शिकायत करें। इस में प्रिविलेज का क्या सवाल है? आप ने कहा कि मैंने लोक सभा में जाना है। उस ने कहा कि आप लोक सभा में ही जायेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महादय, पुलिस अफसर माननीय सदस्य को जेल ले जाना चाहता था, लेकिन उस ने कहा कि आप को लोक सभा में ही ले जायेंगे।

अध्यक्ष महादय : आप कहते हैं कि उस ने लोक सभा के बारे में कुछ शब्द कहे। लोक सभा बैठे हुई है और आप उस में बैठते नहीं हैं, क्या यह हाउस की कम कान्टेन्ट है?

आप लॉग हाउस में ही रहा करें। अगर आप को पुलिस से खतरा हो, तो आप मेरे पास यहाँ

ही बैठें करें। तब कोई आप को गिरफ्तार नहीं कर सकता।

This is the safest place for being saved from the police.

डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय : अध्यक्ष महादय, आप इस बारे में जांच तो करें कि वस्तुस्थिति क्या है। बिना सत्याग्रह अकारण गिरफ्तार करना और लोक सभा के प्रति गलत शब्द कहना क्या ठीक है? उस पुलिस अफसर के व्यवहार के बारे में मध्य प्रदेश सरकार से पूछा जा सकता है। आप इसे गंभीरता से देखें। घटना साधारण नहीं है।

MR. SPEAKER : I shall enquire into it.

श्री मधु लितमये (बांका) : अध्यक्ष महादय, मैं कोई विशेषाधिकार का सवाल नहीं उठाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा निवेदन है कि इस सदन के एक सदस्य, श्री शमीम, के खिलाफ वारंट निकला हुआ है। उन्होंने इलस्ट्रेट बीकली के वार्षिक अंक में एक लेख लिखा है। उस में किसी का अपमान करने का बिबल्कल इरादा नहीं है। क्या हंसी-मजाक, हास्य-विनोद को हम अपने देश में खत्म कर देना चाहते हैं? (व्यवधान)

SHRI INDER J. MALHOTRA (Jammu) : On a point of order . . .

MR. SPEAKER : I am not allowing it. Let him please sit down. He has no right to raise it. I am not allowing it.

यहाँ बैठें बैठें ग्यारह या बारह बजे मुझे नोट भेज देते हैं कि मैं यह सवाल रोज करना चाहता हूँ। कुछ तो प्रोसीजर होना चाहिए।

After all, there should be some method of doing this. We have a rule on it. I must have something in my hand before I can allow it.

SHRI S. A. SHAMIM (Srinagar) : I am seeking your guidance as to what I should do? I want to know whether I am to remain in the House for all time, because